

प्रोबेशनर ट्रेनी व्याख्याता के स्थायीकरण हेतु प्रपत्र

1.नाम	2.विषय	3.मेरिट न. व वर्ग
4.पिता का नाम	5.जन्म दिनांक	6.व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण तिथि
7.कार्यग्रहण दिनांक दोपहर पूर्व या पश्चात (आदेश संलग्न करें)		8.व्याख्याता अनवरत कार्यरत है या नहीं
9.व्याख्याता पद नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक (आदेश संलग्न करें)		
10.व्याख्याता पद नियमितकरण वेतनमान तिथि (आदेश संलग्न करें)		
11.व्याख्याता का वर्षवार परीक्षा परिणाम कक्षा 11 व 12 (प्रोबेशन अवधि)संलग्न कर दिया है या नहीं		
12.संस्थाप्रधान के दूरभाष न.एस.टी.डी.कोड सहित		मोबाईल नंबर

13.राजपत्रित काल (व्याख्याता) का सेवा विवरण

क्र.सं.	विद्यालय का नाम जहाँ स्थापित रहे	कार्यरत अवधि		विशेष विवरण
		कब से	कब तक	
1.				
2.				

14.उपभोग किये गये अवकाशों का विवरण (आकस्मिक अवकाश के अलावा स्वीकृत किये गये अवकाशों के आदेशों की या सेवा पुस्तिका के पृष्ठ की पति संलग्न करें)

क्र.सं.	अवकाश का विवरण	अवकाश का दिनांकवार विवरण (कुल संख्या)	कुल संख्या
1.	प्रसूति अवकाश		
2.	पितृत्व अवकाश		
3.	आकस्मिक अवकाश वार्षिक	प्रथम वर्ष	
		द्वितीय वर्ष	
	आकस्मिक अवकाश वलैण्डर वर्ष के अनुसार to 31-12-17	
		01-01-18 to 31-12-18	
01-01-19 to.....			
4.	उपार्जित अवकाश		
5.	असाधारण अवकाश		
6.	प्रतिवर्तित अवकाश		
7.	अवैतनिक अवकाश		
8.	अन्य अवकाश		

हस्ताक्षर व्याख्याता

संस्थाप्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्याख्याताका उपरोक्त विवरण विद्यालय/कार्यालय में उपलब्ध सेवा रिकार्ड से मिलान कर लिया गया है तथा पूर्णतः सही है। उक्त कर्मचारी के विरुद्ध सीसीए 16-17 में कोई अनुशासनात्मक विभागीय जाँच/कार्यवाही नहीं चल रही है एवं न ही प्रस्तावित है। उक्त अवधि में इनके वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं है। इनका कार्यव्यवहार सन्तोषजनक है अतः स्थायीकरण की अभिशंका की जाती है।

प्रतिहस्ताक्षर /जिशिअ

हस्ताक्षर संस्थाप्रधान